(448)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर केम्प रीवा म.प्र.

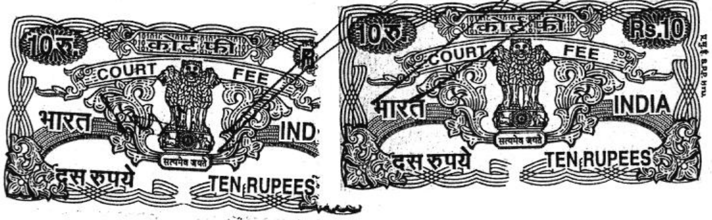

1:- अकबर बक्स तनय सत्तारबक्स उम्र 42 वर्ष

2:- छुब्बलाल तनय दौलत पटेल उम्र 60 वर्ष ।

3:- मौ अजीज तनय आयाब बक्स उम्र 45 वर्ष

4:- गुलशेर अहमद तनय अब्दुल सतॉर उम्र 32 वर्ष

5:- मो. असरफ तनय हबीब बक्स उम्र 40 वर्ष

6:- मौ आफ्ताब बक्स तनय उसमान बक्स उम्र 70 वर्ष

सभी निवासी ग्राम चन्देह तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र.

--------- निगरानीकर्तागण

R.- 2814-II/12

क्रमांक 2229
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 7-8 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम.

1:- रसीद अन्सारी तनय मुस्तफा अन्सारी ग्राम चन्देह तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र.

2:- म.प्र. शासन --------प्रत्यर्थीगण/आवेदकगण .

अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह
द्वारा प्रस्तुत
रीवा दि. 28.7.2012
28/7/12

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय रीवा जिला रीवा के प्र.क्र. 28/अ- 3/11-12 आदेश दिनांक 5.6.12 को पारित किया गया है ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 ई.।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1:- यह कि निगरानी का संक्षिप्त आधार यह है कि, ग्राम चन्देह की भूमि नं. 22/10-0.05 ए. 58/1-0.31 ए. 70/11-032

क्र.2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक निग -2814–दो–.2012 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अकबर / रसीद अंसारी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –02–2016	यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 28 / अ–3 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 5.6.12 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता पर निर्णय लिया जावे। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के निवेदन के अनुक्रम में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन कर उसमें अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा संलग्न आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद नक्शा तरमीम से संबंधित होकर नायब तहसीलदार के नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 25.1.12 के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। अपर कलेक्टर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी सुनने की अधिकारिता संशोधित प्रावधान राजपत्र दिनांक 30.12.11 के अनुसार उन्हें न होने के कारण आदेश दिनांक 05.06.12 से निगरानी अग्राह्य की गयी थी। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश दिनांक 5.6.12 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में विद्यमान विवाद के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना कमांक 2543–6408–सात– ना –1 दिनांक 27 जून 1968 (राजपत्र दिनांक 30.8.68) द्वारा संहिता की	

प्रकरण क्रमांक निग -2814–दो–.2012		जिला रीवा
स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अकबर / रसीद अंसारी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

धारा 71, 72, 73 (वर्तमान धारा 58, 69, 70) की शक्तियां शासन द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं ऐसी स्थिति में नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता तहसीलदार को होने से नक्शा तरमीम का आदेश मूल आदेश की श्रेणी में आता है। इस संबंध में संहिता की धारा 44 में यह प्रावधान है कि "44 अपील तथा अपीलीय अधिकारी (1) जहां अन्यथा उपबंध किया गया हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी–

क– यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, चाहे आदेश देने वाला अधिकारी को कलेक्टर की शक्तियां विनिहित की गयी हों, उपखण्डीय अधिकारी को–

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित नक्शा तरमीम के मूल आदेश के विरूद्ध अपील संहिता की धारा 44(1) के अंतर्गत ही होगी। अपील योग्य आदेश के विरूद्ध निगरानी आवेदन ग्राह्य नहीं किया जा सकता। चूंकि आवेदक द्वारा निगरानी आवेदन राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस कारण न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक 28.7.12 से राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना आवेदक को होने तक की अवधि की छूट अपील प्रस्तुत करने पर आवेदक को दी जावे। उपरोक्त निर्देशों के साथ इस निगरानी का निराकरण किया जाता

प्रकरण कमांक निग -2814—दो—.2012 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अकंबर / रसीद अंसारी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि.हो। 10.2.16 **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	